the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)], with respect to the cognizable offence shall as far as may be, apply thereof].

CHAPTER V
Property, Contracts and Liabilities

100. Property vested in Council – (1) Subject to any special reservation made or to any special conditions imposed by the State Government, all property of the nature hereinafter in this section specified within the limits of the Municipality, shall vest in and be under the control of the Council and with all other property which has already vested, or may hereafter vest in the Councils shall be held and applied by it as trustees for the purposes of this Act, this is to say—

(a) all public town-walls, gates, markets, slaughter-houses manure and night-soil .depots and public buildings of every description which have been constructed or maintained out of the Municipal fund;

(b) all public streams, tanks, reservoirs, cisterns, wells, springs, aqueducts, conduits, tunnels, pipes, pumps and other water works, and all bridges, buildings, engines, works, materials and things connected with or appertaining thereto, and also adjacent land not being private property, appertaining to any public tank or well;

(c) all public sewers and drains and all sewers, drains, tunnels, culverts, gutters and water-courses in,

5 सन् 1898) [अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974)] के उपबंध यथाशक्य उसको लागू होंगे ।]

अध्याय 5
सम्पत्ति, संविदाएँ तथा दायित्व

100. परिषद् में निहित संपत्ति -- (1) राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के या उनके द्वारा अधिरोपित की गई किन्हीं विशेष शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर की उस प्रकार की समस्त संपत्ति, जो इस धारा में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट है, परिषद् में निहित होगी तथा उसके नियंत्रण में रहेगी और परिषद् में पहले से ही निहित या एतद्पश्चात् निहित होने वाली अन्य समस्त संपत्ति सहित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) समस्त सार्वजनिक नगर दीवालें, फाटक, मण्डी, वधशालाएँ, खाद तथा विष्ठा डिपो और प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जिनका सन्निर्माण या अनुरक्षण नगरपालिका की निधि में से किया जाता है;

(ख) समस्त सार्वजनिक जल स्रोत, तालाब, जलाशय हौज, कुएँ, चश्मे, जल सेतु, नलिकाएँ, सुरंग, नल, पंप तथा अन्य जल संकर्म और समस्त पुल, भवन, इंजन, संकर्म, उनसे संबंधित या अनुलग्न सामग्री तथा चीजें और किसी भी सार्वजनिक तालाब या कुएँ से अनुलग्न पार्श्वस्थ भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है;

(ग) समसत सार्वजनिक मलनालियाँ तथा नालियाँ और किन्हीं भी मार्गों में की, उनके दोनों ओर की या उनके नीचे की समस्त

अवर सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - अ (6)

alongside or under any streets and all works materials and things appertaining thereto;

(d) all dust, dirt, dung, ashes, refuse, animal matter, filth, night-soil or rubbish of any kind collected by the Council or by any customary or private sweeper from the streets, houses, privies, sewers, cesspools or elsewhere;

(e) all public lamps, lamp-posts and apparatus connected therewith, or appertaining thereto;

(f) all public streets, not being land owned by the State Government and the pavement, stone and other material thereof and also trees growing on and erections, materials implements and things provided for such street;

(g) all lands and/or other property transferred to the Council by the State Government or acquired by gift, purchase or otherwise, for public purpose.

(2) The State Government may, by notification, direct that any property which has vested in the Council shall cease to be so vested; and thereupon the property specified in the notification shall cease to be so vested, and the State Government may pass such orders as it think fit' regarding the disposal and management of such property.

(3) The State Government may resume any immovable property transferred to the Council by itself or

मल नालियाँ, नालियां, सुरंगे, पुलियाँ, मोरियाँ तथा जलसारणी और उनसे अनुलग्न समस्त संकर्म सामग्री तथा चीजें;

(घ) परिषद् द्वारा या किसी भी रूढ़िगत या प्रायवेट झाड़ूकश द्वारा मार्गों, मकानों, सण्डासों, मलनालियों, मलकुण्डों या अन्य स्थानों से इकट्ठी की गई समस्त धूल, गन्दगी, गोबर, राख, कचरा, पशुमल, विष्ठा या किसी भी प्रकार का कुड़ा करकट;

(ङ) समस्त सार्वजनिक लैम्प, लैम्पपोस्ट तथा उनसे संबंधित या अनुलग्न साधित्र;

(च) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि न हों, तथा उनके खरंजे (पेवमेन्ट) पत्थर तथा अन्य सामग्री और उन पर उगे हुए वृक्ष तथा ऐसे परिनिर्माण, सामग्री, उपकरण तथा चीजें भी जिनकी ऐसे मार्गों के लिए व्यवस्था की गई है;

(छ) ऐसी समस्त भूमियाँ और/या अन्य संपत्ति, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषद् को अन्तरित की गई है या जो दान द्वारा, क्रय करने या अन्यथा अर्जित की गई है ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी कोई संपत्ति जो परिषद् में निहित हो गई है, इस प्रकार निहित नहीं रहेगी, और तदुपरान्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संपत्ति इस प्रकार निहित नहीं रहेगी तथा राज्य सरकार ऐसी संपत्ति के व्ययन तथा प्रबंध के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगी जो उसे उचित प्रतीत हो ।

(3) राज्य सरकार स्वयं अपने द्वारा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिषद् को अन्तरित की गई किसी स्थावर सम्पत्ति का

अवर सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(16)

2398

परिशिष्ट - "A"

attachment or other proceedings relating thereto, nor shall such party be deemed a trespasser ab initio on account of any irregularity afterwards committed by him; but all persons aggrieved by such irregularity may recover full satisfaction for the special damage in any Court of competent jurisdiction.

न ही उसे करने वाला कोई पक्षकार अतिचारी समझा जाएगा और न ही ऐसा पक्षकार उसके द्वारा पश्चात् में की गई किसी अनियमितता के कारण आरंभ से अतिचारी समझा जाएगा, किन्तु ऐसी अनियमितता से व्यथित समस्त व्यक्ति सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में ऐसी विशेष नुकसानी की तुष्टि के लिए पूरी रकम वसूल कर सकेंगे ।

315. Damage to Municipal property how made good -- If through any act neglect or default, on account whereof any person shall have incurred penalty imposed by or under this Act, any damage to the property of a Municipality shall have been caused by such person, he shall be liable to made good such damage as well as to pay such penalty and the amount of damage shall, in case of dispute on the application, in writing, of the Chief Municipal Officer, be determined by the Court by whom the person incurring such penalty in convicted, and on non-payment of such amount on demand the same shall be levied by distress and such Council shall issue the warrant accordingly.

315. नगरपालिका की संपत्ति की हुई नुकसानी की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी -- यदि किसी भी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के द्वारा, जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत कर ली है, ऐसो व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की संपत्ति को कोई नुकसान कारित किया गया है तो वह ऐसे नुकसान को पूरा करने के लिए और साथ ही ऐसी शास्ति भी चुकाने का दायी होगा तथा नुकसानी की रकम, विवाद की दशा में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिखित में आवेदन करने पर उस न्यायालय द्वारा अवधारित की जाएगी जिसके द्वारा ऐसे शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया है और मांग करने पर भी ऐसी रकम का भुगतान न करने पर वह रकम करस्थम् द्वारा उद्गृहीत की जाएगी और ऐसा न्यायालय तदनुसार वारंट जारी करेगा ।

टिप्पणी

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 315 नगरपालिका की संपत्ति की हुई नुकसानी की पूर्ति की प्रक्रिया को उल्लेखित करती है इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति ने किसी भी कार्य उपेक्षा या व्यतिक्रम के द्वारा शास्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। और उसने नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है तो वह शास्ति भुगतान करने के साथ ही नगरपालिका की संपत्ति को पहुँचाए गए नुकसान की पूर्ति करने का भी जिम्मेदार होगा यदि नुकसान की पूर्ति के संबंध में विवाद हो तो दोष सिद्धि करने वाले न्यायालय को मुख्य नगरपालिका अधिकारी आवेदन देगा जिस पर रकम नुकसान की पूर्ति की विनिश्चित

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद- सटई
जिला- छतरपुर (म.प्र.)

अवर सचिव
म.प्र. शासन
नगरीय विकास एवं
मंत्रालय, भोपाल